6200(E)
2/9/2026

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 02-09-2026 को सम्पन्न परिवाद समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, मधुबनी के अन्तर्गत Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance Works Under OPRMC-III Package No.-08A/Madhubani कार्य की निविदा के तकनीकी बीड में प्राप्त परिवाद पर विभागीय पत्रांक–2217(E) दिनांक–01.04.2026, पत्रांक–2360(E) दिनांक–09.04.2026 एवं पत्रांक–5625 (E) दिनांक–17.08.2026 द्वारा गठित समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

(i) श्री उमा कान्त रजक, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(ii) श्री अभिषेक पलासिया, संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(iii) श्री राजेश कुमार गुप्ता, मुख्य अभियंता, संविदा प्रबंधन, नीतिगत मामले एवं लेखा परीक्षा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(iv) श्री सुनील कुमार सुमन, मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. दिनांक–13.08.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही, जो उपभागीय ज्ञापांक–2468 दिनांक–13.08.2026 द्वारा संसूचित है, में लिये गये निर्णय के विरूद्ध प्राप्त परिवाद पर मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2612(अनु०) दिनांक–26.08.2026 के माध्यम से परिवाद पर दिनांक–26.08.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही एवं अनुशंसा के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम एवं पैकेज संख्या	:	Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance Works Under OPRMC-III Package No.-08A/Madhubani
2.2	योजना मद	:	3054
2.3	निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम	:	पथ प्रमंडल, मधुबनी।
2.4	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹23183.49 लाख। विभागीय ज्ञापांक–3247(एस०) दिनांक–12.05.2026
2.5	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹27062.70 लाख। मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–1612(अनु०) दिनांक–24.05.2026
2.6	ECV/परिमाण विपत्र की राशि	:	₹24332.67 लाख।
2.7	कार्य समाप्ति की अवधि	:	84 (Eighty-four) Months.
2.8	निविदा की प्रक्रिया	:	ई–टेंडरिंग (MBD)
2.9	निविदा प्राप्ति की तिथि	:	03.07.2026
2.10	प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण	:	पुनर्निविदा नहीं है।

3. विषयांकित निविदा में निम्नलिखित 10 (दस) संवेदकों द्वारा भाग लिया गया :–

(1) M/s Niranjan Sharma
(2) S & P Infrastructure Developers Private Limited
(3) M/s Broadway Links Private Limited
(4) M/s Adarsh Construction
(5) M/s Ashoka Buildcon Limited
(6) Vallabhaneni Construction Private Limited
(7) Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd.
(8) MCC Mahadeo Construction Pvt. Ltd.
(9) T and T-Aakshya 'JV'
(10) Kram Infracon Private Limited

4. उपभागीय ज्ञापांक– 2468 दिनांक– 13.08.2026 द्वारा संसूचित दिनांक–13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक में उक्त निविदा में कुल दस निविदाकारों में से पाँच निविदाकार यथा **(i)** M/s Niranjan Sharma, **(ii)** M/s Broadway Links Private Limited, **(iii)** M/s Adarsh Construction, (iv) MCC Mahadeo Construction Pvt. Ltd. एवं **(v)** Kram Infracon Private Limited निविदा की वांछित अर्हत्ता को पूर्ण करते हैं। अतः इन्हे तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया गया।

शेष पाँच निविदाकार, **(i)** S & P Infrastructure Developers Private Limited को MBD के Section 3: Clause 1.2.3, Section 4E.10 एवं NIT के क्रमांक – 39 तथा MBD के Section 3: Clause 1.2.1 (b) के आलोक में, **(ii)** M/s Ashoka Buildcon Limited को MBD के Section 3: Clause 1.2.3, Section 4E. 10 एवं NIT के क्रमांक–39 तथा NIT के क्रमांक–28 के आलोक में, **(iii)** Vallabhaneni Constructions Private Limited को MBD के ITB Clause-17 एवं NIT के क्रमांक– 18, MBD के Section 3 : Clause 2.6 एवं NIT के क्रमांक– 28 के आलोक में, **(iv)** Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd. को NIT के क्रमांक–28 के आलोक में , **(v)** T and T – Aakshya 'JV' को MBD के ITB Clause-17 एवं NIT के क्रमांक–18, MBD के Section 3: Clause 1.2.3, Section 4E. 10 एवं NIT के क्रमांक–39, NIT के क्रमांक– 28 एवं MBD के Section 3: Clause 2.4.2, Section 4E. 13 के आलोक में, तकनीकी बीड में असफल घोषित करने का निर्णय लिया गया।

विभागीय निदेश के अनुसार दो कार्य दिवस में इस निविदा में शामिल किसी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त होने पर सक्षम स्तर से परिवाद निष्पादन के उपरांत ही अग्रतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

5. उपभागीय ज्ञापांक–2468 दिनांक–13.08.2026 द्वारा संसूचित दिनांक–13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की निर्णय के विरूद्ध विषयांकित कार्य की निविदा के तकनीकी बीड में असफल निविदाकार यथा **(i)** Vallabhaneni Construction Private Limited के पत्रांक– शून्य, दिनांक– 17.08.2026, **(ii)** S & P Infrastructure Developers (P) Ltd. का पत्रांक– S&P/Admin/2026-27/174 दिनांक– 14.08.2026 एवं **(iii)** Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd. के पत्रांक– शून्य, दिनांक– 15.08.2026 के द्वारा परिवाद/अभ्यावेदन/आपत्ति समर्पित किये जाने के परिप्रेक्ष्य में मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2612(अनु०) दिनांक–26.08.2026 द्वारा परिवाद पर दिनांक–26.08.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही एवं अनुशंसा समर्पित की गई है।

6. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त निर्णय के विरूद्ध तकनीकी बीड में असफल निविदाकार **(i)** Vallabhaneni Construction Private Limited के पत्रांक– शून्य, दिनांक– 17.08.2026, **(ii)** S & P Infrastructure Developers (P) Ltd. का पत्रांक– S&P/Admin/2026-27/174 दिनांक– 14.08.2026 एवं **(iii)** Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd. के पत्रांक– शून्य, दिनांक– 15.08.2026 के द्वारा आपत्ति प्राप्त हुआ है।

<u>परिवाद / आपत्ति की समीक्षा</u> :–

<table>
<tr><th></th><th>परिवाद / आपत्ति</th><th>समीक्षा</th><th>परिवाद समिति की अनुशंसा</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>

Vallabhaneni Constructions Private Limited द्वारा दिये गये आपत्ति :–

With reference to the above-mentioned tender, we respectfully submit that we have participated in the bidding process and duly submitted our bid. But, following objection has been raised. In this regard, We would like to bring the following for your kind consideration.

<table>
<tr><th>Sl.No</th><th>As per the MBD</th><th>Enclosed documents</th><th>Request for your kind consideration</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>As per MBD Section 3: clause 2.6 Section 4, D-3, Form-EQU "The Bidder shall own at least One Hot Mix Plant (40-60 tonne/hour Capacity) not more than 15 years age."</td><td>We enclosed the Executive Engineer R&B Division, Vijaywada certificate for availability of Equipments in which own Hot Mix plant is enclosed along with and which is uploaded in the Bid document. (Annexure-1)</td><td>Since 2014, we have been executing works for the Road Construction Department (RCD), Bihar. As part of the OPRMC works in Darbhanga, we established and commissioned a Hot Mix Plant at the project location.A certificate issued by the Executive Engineer, RCD, Darbhanga vide Memo no. 1172 dated 05.05.2026 confirming the establishment and operation of the Hot Mix Plant, along with the purchase invoices of the plant, are enclosed herewith. (Annexure2)</td></tr>
</table>

</td><td>निविदाकार द्वारा Executive Engineer (R & B) Division, Vijayawada द्वारा हस्ताक्षरित Machine Certificate निविदा में Upload किया गया है, जिसमें इनका Ownership परिलक्षित नहीं होता है।

इन्होंने कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, दरभंगा का ज्ञापांक– 1172 दिनांक– 05.05. 2026 समर्पित किया गया है जिसमें बताया गया है कि निविदाकार, Vallabhanaini Construction Pvt. Ltd. के पास 21. 04.2014 को खरीदी गयी Hot Mix Plant है एवं</td><td>तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।</td></tr>
</table>

				निविदाकार के नाम से Stationary Asphalt Drum Mix Plant model DM-50 (Capacity 60-90 TPH) with complete assly का दिनांक–21.04.2014 का Retail invoice संलग्न किया गया है।
2.	As per the MBD vide section 3, Clause 1.2.1 & NIT Sl. No.-28 it Is mandatory to affixed an Advocates' Welfare Stamp of Rs.25/- on the affidavit towards the Advocates' Welfare Fund.	We had enclosed the prescribed affidavit along with our bld. As per law prevalling In the State Andhra Pradesh. There Is no provislon of advocate welfare stamp of Rs. 25/- in this rules.	We hereby undertake that, in the event of award of the work to our firm, or whenever called upon by the Authority, we shall Immediately submit a fresh affidavit duly affixed with the applicable Advocates' Welfare Stamp As required in of Bihar State. In the prescribed format, before execution of the agreement or within such time as may be directed by the Authority.	किन्तु निविदाकार द्वारा MBD के Section-3: Clause 2.6 के आलोक में At least one Hot Mix Plant (40-60 tonne/hour capacity) not more than 15 years age" का Ownership Certificate निविदा में Upload नहीं किया गया है। अतः आपत्ति का यह बिन्दु अमान्य किया जा सकता है।
3.	As per the ITB clause 17.1"A Bid Security shall be required the amount of the Bid Security shall be Rupees 2,53,33,000.00. The Bid security shall be duly endorsed/pledged to the Executive Engineer, Road Division Madhubani, Road Construction Department, Bihar."	The submitted Bid security BG is properly addressed to the "The Executive Engineer, Road Construction, Madhubani, Road Construction Department, Bihar." In the second page of BG due to Typo error. It is written as Darbhanga in place of Madhubani."	Due to a typographical error on the second page of the Bank Guarantee, the place was inadvertently mentioned as "Dharbhanga instead of Madhubani". The issuing Bank has duly corrected the error under its seal and signature and the corrected copy of the Bank Guarantee is enclosed for your kind consideration. The error is purly Human error in nature and does not affect the validity, enforceability, or substance of Bank Guarantee in any manner.	________________________________ NIT के क्रमांक–28 के आलोक में निविदाकार को

	2. All above objections are in small in nature, which can be rectified. They do not alter the substance of our bid, our technical capability, financial eligibility, or our commitment to execute the work in accordance with the essential conditions of the tender.	शपथ पत्र के साथ Rs. 25/- का Advocate Welfare Stamp affixed किया जाना वांछित था। किन्तु उनके द्वारा वांछित Stamp Affixed नहीं किया गया। अतः निविदाकार का आपत्ति अमान्य किया जा सकता है। --------------------------- निविदाकार द्वारा Bid Security के रूप में Uploaded B.G. Executive Engineer, Madhubani की जगह Executive Engineer, Darbhanga को Pledge किया गया है। MBD के ITB Clause 17 एवं NIT के क्रमांक-18 (a) में स्पष्ट अंकित है कि "Earnest Money Deposit (EMD) can be paid through offline mode in	

			the form of Bank Guarantee of Nationalized/Scheduled Bank duly endorsed/pledged to Executive Engineer, Road Division Madhubani. In offline mode, EMD in form of Bank Guarantee will be taken after award of work and before execution of agreement but scanned copy of Bank Guarantee is Mandatory to be uploaded with the tender Documents." उपरोक्त तथ्यों के आलोक में स्पष्ट है कि निविदाकार के द्वारा निविदा की Mandatory अहर्त्ता B.G , Executive Engineer, Road Division, Madhubani के नाम से Pledge नहीं किया गया है। अतः आपत्ति का यह बिन्दु अमान्य किया जा सकता है।	

	3. In this regard, I further invite your kind attention to Civil Writ Jurisdiction Case No. 3245 of 2025 before the Hon'ble High Court of Judicature at Patna, in the matter of M/s Rai Raj Constructions Private Limited vs. Road Construction Department, Government of Bihar, wherein the Hon'ble High Court observed that for this very reason, we do not wish to interfere at this stage. However, we must state that the respondents in this case would have rectified that small defect (Copy of order is attached Annexure-3). 4. As per MBD clause no 22. Clarification of Blds-22.1. To asslst in the examination, evaluation, and comparison of the bids, and qualificatlon of the Bldders, the Employer may, at its discretion, ask any Bldder for a clarification of Its bld. Any clarification submitted by a Bidder that is not in response to a request by the Employer shall not be considered. The Employer's request for clarification and the response shall be In writing. No change in the prices or substance of the bid shall be sought, offered, or permitted, except to confirm the correction of arithmetic errors discovered by the Employer in the evaluation of the bids, in accordance with ITB 26. Kindly consider. 5. We hereby further undertake that, in the event of award of the work to our firm or whenever called upon by the Employer, we shall promptly submit all the requisite documents referred to above before execution of the agreement or within such time as may be stipulated by the Employer. 6. In view of the foregoing facts and circumstances, we most respectfully request your good office to kindly condone these minor procedural deficiencies, permit us to rectify the same, and consider our bid for further evaluation in the interest of fairness, equity, and healthy competition. We trust that our request will receive your kind and sympathetic consideration, and we shall remain grateful for the same.	निविदाकार द्वारा Advocate welfare Stamp के संबंध में CWJC No. 3245 of 2025 में दिनांक– 13.05. 2025 को पारित माननीय उच्च न्यायालय, पटना का Judgement संलग्न किया गया है। किन्तु उसमें Advocate Welfare Stamp of Rs. 25/- को exempt करने का न्यायादेश नहीं दिया गया है। साथ ही वर्त्तमान में विभाग द्वारा पूर्व के नियम में बदलाव नहीं किया गया है। अतः NIT के क्रमांक– 28 के आलोक में शपथ–पत्र के साथ Advocate Welfare Stamp of Rs. 25/- वांछित था, जो कि निविदाकार द्वारा नहीं दिया गया। अतः आपत्ति का यह बिन्दु अमान्य किया जा सकता है।	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।

2.	**S & P Infrastructure Developers (P) Ltd. द्वारा दी गई आपत्ति :–** We, M/s S&P Infrastructure Developers Private Limited (the "Bidder"), submitted our Bid for the above work by the extended deadline of 03.07.2026. By the technical evaluation proceedings dated 13.08.2026, the Bid has been declared non-responsive on two grounds: (i) an alleged declaration of the Bidder as a 'Non-Performer' in relation to the work of strengthening Km 0.00 to Km 21.00 of Ara (NH30) to Chapra (NH-19) via Babura-Doriganj Road for 2022-23; and (ii) alleged non-submission of an Engineer-in-Charge certificate for one existing commitment. The Bidder respectfully seeks an immediate, reasoned reconsideration before the Financial Bids are opened or any irreversible step is takèn. **1. Alleged declaration as Non-Performer** 2. Clause 2.2.2 of Section 3, read with Form CON-1, says that contract non-performance during the last five years can be considered only when the dispute has been fully settled. It also explains that a dispute is fully settled only after it has been decided under the contract and all available appeals have been completed. 3. In our case, there is no such final decision. A rectification notice, departmental letter, internal remark, or pending dispute cannot by itself prove that a contractor is a Non-Performer under Clause 2.2.2. 4. We have never received any show-cause notice or final order declaring us a NonPerformer for the Ara-Chapra via Babura-Doriganj Road work. The technical evaluation also does not mention the number, date, issuing authority, or validity of the alleged order. We therefore request you to provide us a copy of the order relied upon. Until such a final order is shown, this reason should not be used to reject our Bid. 5. The Ara-Chapra via Babura-Doriganj Road work has already been completed. After completion, the Executive Engineer issued a letter dated 08.06.2026 for some rectification work. We responded and arranged the required manpower and machinery. The work took some time because resources had to be arranged again and permission was required from the District Administration for traffic management. These facts were explained in our letters dated 13.07.2026 and 01.08.2026. 6. This is only a rectification matter after completion of the work. It has not been finally decided against us under the contract. Therefore, it	"दक्षिण बिहार उपभाग में पथ प्रमंडल, आरा अन्तर्गत आरा–छपरा भाया बबुरा, डोरीगंज पथ में मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2022–23 में S&P Infra Structure Developers Pvt. Ltd. को Non-Performer घोषित किया गया है, जिसके आधार पर MBD के Section 3:	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।

	should not be treated as poor performance or as a ground for rejecting our Bid under Clauses 1.2.1(b) and 2.2.2. 7. Declaring a contractor as a Non-Performer has serious effects on its business. Before taking such action, the contractor must be issued the Show Cause Notice of the proposed action and given a proper chance to explain its case. We were not given any such notice or opportunity and even also not been issued a formal letter declaring us a Non-Performer. Therefore, application of Clauses 1.2.1(b) and 2.2.2 for dis-qualification is beyond the terms of the tender.	Clause 1.2.1 (b) & Clause 2.2.2 के आलोक में इन्हें दक्षिण बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग अन्तर्गत पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Asset Maintenance Contract) प्रणाली के तहत राज्य अन्तर्गत Package No.- 43B / OPRMC-III for the year 2026-33 कार्य की निविदा के तकनीकी बीड में असफल घोषित किया गया", के आलोक में TBEC द्वारा	

			MBD के Section 3: Clause 1.2.1 (b) के आलोक में निविदाकार को तकनीकी बीड में असफल घोषित किया गया था। निविदाकार द्वारा समर्पित अनापत्ति के साथ संलग्न एवं अंकित कार्यपालक अभियंता, शाहाबाद पथ प्रमंडल, आरा का पत्रांक– 3528, दिनांक– 31.12.2025, पत्रांक– 1167, दिनांक– 30.03.2026, पत्रांक– 1682 दिनांक– 25.05.2026 एवं पत्रांक– 1884 दिनांक– 16.06.2026 अधीक्षण अभियंता, भोजपुर पथ अंचल, आरा के पत्रांक– 1234 (अनु0), दिनांक– 18.06.2026 से स्पष्ट है कि क्षेत्रीय अभियंताओं द्वारा अनुरोध के बावजूद इनके द्वारा	

		गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं किया गया है। निविदाकार द्वारा संलग्न पत्र से स्पष्ट है कि Strengthning work in Km 0.00 to 21.00 Km of Ara (NH-30) to Chapra (NH-19) Via Babura, Doriganj Road for the year 20222-23 कार्य में लगभग 2 कि0मी0 (8वें एवं 9वें कि0मी0 में) में PQC कार्य की जाँच (TIR का पत्रांक– 114 (गो0) अनु0, दिनांक– 30.10. 2024)। उक्त PQC कार्य को Dismantle कर पुनः Specification के अनुरूप PQC कार्य करने हेतु कार्यपालक अभियंता द्वारा संवेदक को निदेश दिया गया। निविदाकार का उक्त कार्य MBD के Section	

		3: Clause 1.2.1 (b) के आलोक में Poor Performance की श्रेणी में आता है। अतः इनकी आपत्ति अमान्य किया जा सकता है।	
	2. Certificate for ongoing works 8. The second reason says that the Engineer-in-Charge certificate for one ongoing work was not uploaded as required under Clause 1.2.3 of Section 3, Section 4E.10/Form FIN-4, and Serial No. 39 of the NIT. However, the evaluation does not mention which work or certificate is missing. It also does not show the amount taken for that work or the calculation of our bid capacity. 9. We had disclosed all our ongoing works in the Bid and submitted the certificates available with us. Copies of the certificates are again enclosed for easy reference. We had given the name of each project, the employer, contract amount, completion period, and balance commitment. We did not hide any work or liability. 10. In EPC contracts, the officer performing the role of Engineer-in-Charge is generally called the Authority's Engineer or Authority Engineer under Article 18 of the EPC Agreement. Therefore, a certificate issued by the competent Authority Engineer should be accepted even though the designation is different. 11.We are not asking for any change in our Bid or for adding any new experience or qualification. We are only asking for confirmation of the information already submitted with the Bid. 12. Under ITB Clauses 22 and 25, the Authority may ask the bidder for clarification or supporting documents, provided that the Bid price and its main contents are not changed. The required confirmation would only verify the details already given in Form FIN-4 and would not change our Bid in any manner. 13. The issue relates to only one work out of around 30 works disclosed	निविदाकार द्वारा MBD के Section 4E.10 (c) एवं NIT के क्रमांक– 39 के आलोक में Uploaded Existing Commitment की सूची के क्रमांक – 5 पर अंकित कार्य "Sn No. 28 Construction of road from Km 0.00 to Km 17.812 (Package-3) of Bile-Migging section (Km 0.00 to Migging end) of NH- 913 (Frontier Highway) to Intermediate Lane on EPC mode in the State of Arunachal Pradesh." से संबंधित Engineer-	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।

	by us. If there was any doubt, the Authority could have asked us for clarification. It could also have taken the full balance value of that work while calculating our bid capacity and checked whether we still met the requirement. 14. We therefore request the Evaluation Committee to tell us which certificate is considered missing and provide the bid-capacity calculation. We are ready to submit the required confirmation from the Authority Engineer/Engineer-in-Charge immediately. 15. In view of the above, the Bidder respectfully requests that the competent authority to declare our bid responsive/ qualified in accordance with tender documents and open our Financial bid. This representation is made bona fide and without prejudice to all contractual, statutory, and constitutional rights and remedies available to the Bidder. The Bidder requests a speaking decision before the Financial Bids are opened and communicated to it at the earliest.	in-Charge द्वारा निर्गत / हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र Upload नहीं किया गया है। अतः आपत्ति का यह बिन्दु अमान्य किया जा सकता है।	
2. **(A)**	**Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd. द्वारा दिये गये आपत्ति :–** उपर्युक्त विषय के संबंध में निवेदनपूर्वक कहना है कि विषयांकित कार्य के निविदा में मेरे द्वारा भाग लिया गया है एवं प्रासंगिक पत्रों द्वारा MBD के Section 3: Clause 1.2.1 एवं NIT के क्रमांक 28 के आलोक में शपथ पत्र के साथ वांछित 25/- रूपये का Advocate Welfare Stamp संलग्न नहीं किया गया है, के आलोक में दिनांक–13.08.2026 को तकनीकी बीड मुल्यांकन समिति द्वारा मुझे विषयांकित कार्य के निविदा में असफल घोषित कर दिया गया है। उक्त के संबंध में भवदीय से अनुरोध है कि विषयांकित कार्य के कुल 05 (पाँच) अदद Package में Package wise कुल Advocate Welfare Stamp के लिए कुल राशि 550/– का शपथ पत्र में Affixed किया गया है, जबकि MBD के Section 3; Clause 1.2.1 एवं NIT के क्रमांक–28 के आलोक में Advocate Welfare Stamp के लिए कुल राशि 300/– रूपया का शपथ पत्र में Affixed किया जाना था, लेकिन इसके आलोक में मेरे द्वारा सरकारी राजस्व में अधिक राशि Package wise संलग्न किया गया है। उक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर भवदीय से सादर अनुरोध है कि मेरे द्वारा विषयांकित कुल कार्यों में NIT की कंडिका–28 के अनुपालन में	NIT के क्रमांक–28 के आलोक में निविदाकार को शपथ पत्र के साथ Rs. 25/– का Advocate Welfare Stamp affixed किया जाना वांछित था। किन्तु उनके द्वारा मात्र Rs. 20/– का उक्त Stamp Affixed किया गया। अतः निविदाकार का आपत्ति अमान्य किया जा सकता	Ram Kripal Construction Pvt. Ltd. द्वारा NIT के क्रमांक–28 एवं MBD के Section-3, Clause 1.2.1 के आलोक में समर्पित शपथ–पत्रों में कुल Rs. 40/- का Advocate Welfare Stamp संलग्न है। अतः परिवाद का यह बिन्दु मान्य है।

	शपथ पत्र में Advocate Welfare Stamp की वांछित राशि से अधिक जमा किया गया है। अतः इस आधार पर सहानुभूतिपूर्वक पुनः विचार करते हुए तकनीकी बीड में मुझे सफल घोषित करने की कृपा की जाय।	है।	
(B)	**M/s Silica Infra Pvt. Ltd. के विरूद्ध दिया गया परिवाद :–** (1). साथ ही अनुरोधपूर्वक भवदीय के संज्ञान में ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि:– M/s Silica Infra Pvt. Ltd. को दिनांक 13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मुल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही में तकनीकी बीड में NIT के क्रमांक–14 के अनुसार तकनीकी बीड मुल्यांकन शीट में National repute का रजिस्ट्रेशन को मान्य करते हुए तकनीकी बीड में सफल घोषित किया गया है, जबकि इनके द्वारा National repute कम्पनी से संबंधित कोई रजिस्ट्रेशन कागजात निविदा के साथ अपलोड नहीं किया गया है। साथ ही विभागीय पत्रांक 6158 (S), दिनांक 09.07.2014 में MBD पर आधारित निविदा के तकनीकी बीड के निष्पादन हेतु Eligibility Criteria के संबंध में कंडिका 5.1 प्रथम प्रक्रम "यह प्रक्रम निविदाओं के तकनीकी बीड में सफल होने के लिए अनिवार्य होगी। इस प्रक्रम पर असफल पाये जाने वाले निविदाकारों के तकनीकी बीड प्रारंभ में अस्वीकृत होगा एवं किसी भी हालत में विचारणीय नहीं होगा, जो इस निविदाकार के निविदा पर सत्प्रतिशत लागू होता है, क्योंकि इनके द्वारा National repute कम्पनी का निबंधन निविदा के साथ Upload नहीं किया गया है। साथ ही Specific Experience of Similar nature of work, MBD के Section:3; Clause 2.4.2.B के तहत जो तकनीकी बीड मुल्यांकन समिति द्वारा निर्णय लेकर सफल किया गया है, वह भी किसी सरकारी/गैर सरकारी/BOT के द्वारा किये गये कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत नहीं है, केवल किसी संवेदक के द्वारा Sub Contract के रूप में दिया गया है, उसे ही निविदा के साथ अपलोड किया गया है, जो विचारणीय नहीं है एवं उक्त वर्णित विभागीय आदेश के कंडिका –5.1.1 के प्रक्रम की अर्हता को पूर्ण नहीं करता है।	M/s Silica Infra Pvt. Ltd. इस निविदा में निविदाकार नहीं है। अतः विभागीय कार्यालय आदेश सं0– 141, दिनांक– 28.10. 2021 के आलोक में परिवाद का यह बिन्दु अमान्य किया जा सकता है।	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।
(C)	**Bhartia – Barhonia 'JV' के विरूद्ध दिया गया परिवाद :–** (2). Bhartia-Barhonia 'JV' को दिनांक 13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मुल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही में तकनीकी बीड में सफल घोषित किया गया है, जबकि NIT के कंडिका–23 में वर्णित विभागीय पत्रांक 8131(S)We, दिनांक 24.07.2012 के उपकंडिका–2.2 के अनुसार Each Partner का First Class Executive	Bhartia – Barhonia 'JV' इस निविदा में निविदाकार नहीं है।	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।

	Magistrate का शपथ पत्र निविदा के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है, लेकिन इनके द्वारा Notary का शपथ पत्र निविदा के साथ अपलोड किया गया है।	अतः विभागीय कार्यालय आदेश सं0– 141, दिनांक– 28.10. 2021 के आलोक में परिवाद का यह बिन्दु अमान्य किया जा सकता है।	
(D)	**M/s Amhara Construction Pvt. Ltd. के विरूद्ध दिया गया परिवाद :–** (3). M/s Amhara Construction Pvt. Ltd. को दिनांक 13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मुल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही में विभिन पैकेजों में तकनीकी बीड में सफल घोषित किया गया है, जबकि Net worth तथा Profit & loss का (Fin.–1) जो कागजात निविदा के साथ अपलोड किया गया है, वह uploaded Balance Sheet के अनुरूप नहीं है एवं Balance Sheet में टंकित UDIN से मिलान किये जाने पर सही नहीं मिलता है। साथ ही NIT के क्रमांक 13 एवं MBD के ITB Clause–16 के अनुसार Bid Validity कम से कम 180 दिन का undertaking निविदा के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है, लेकिन इनके द्वारा Bid Validity के आलोक में केवल "As per NIT & MBD" लिखकर निविदा के साथ अपलोड किया गया है, जो विभागीय निविदा प्रक्रिया के विरूद्ध है तथा शपथ पत्र में भी इसका जिक्र नहीं किया गया है एवं इस आधार पर निविदा अविचारणीय है। साथ ही इनके द्वारा Equipment के अन्तर्गत जो MBD के Section: 3; Clause 2.6 Section 4, D-3 के तहत Hot Mix plant अधिकतम 10 साल पुराना एवं owned होना चाहिए, जबकि इनका Hot Mix Plant वर्ष 2013 का है एवं उसमें 120TPH का कागजात निविदा के साथ अपलोड किया गया है, जबकि इनके पास मात्र एक ही Hot Mix Plant है, जो 45-60TPH का है, जिसकी जॉच विभागीय स्तर से भी की जा सकती है। साथ ही निविदा के साथ अपलोडेड Hot Mix Plant की कागजात के आधार पर भी जाँच कर ही निविदा की निष्पादन किया जाना न्यायसंगत एवं उचित होगा। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में भवदीय से सहानुभूतिपूर्वक सादर अनुरोध है कि इस प्रकार दिनांक 13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मुल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही में किये गये निर्णय के तहत् कई	M/s Amhara Construction Pvt. Ltd. इस निविदा में निविदाकार नहीं है। अतः विभागीय कार्यालय आदेश सं0– 141, दिनांक– 28.10. 2021 के आलोक में परिवाद का यह बिन्दु अमान्य किया जा सकता है।	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।

	निविदाताओं द्वारा Uploaded किये गये कागजातों में त्रुटि होने के बावजूद भी दरकिनार करते हुए तकनीकी बीड में सफल घोषित कर दिया गया है, जो न्यायोचित नहीं है एवं इस पर पुनः विचार करते हुए तकनीकी बीड में सफल ६ असफल पर निर्णय लेने पर विचार किया जाय।		

7. **परिवाद की समीक्षा एवं तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा :–**

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा समीक्षोपरांत एवं सम्यक विचारोपरान्त निविदाकार **(i)** Vallabhaneni Construction Private Limited के पत्रांक– शून्य, दिनांक– 17.08.2026, **(ii)** S & P Infrastructure Developers (P) Ltd. का पत्रांक– S&P/Admin/2026-27/174 दिनांक– 14.08.2026 एवं **(iii)** Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd. के पत्रांक– शून्य, दिनांक– 15.08.2026 द्वारा दिए गए परिवाद/आपत्ति के आलोक में उपभागीय ज्ञापांक– 2468, दिनांक– 13.08.2026 द्वारा संसूचित दिनांक–13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक में लिये गये सफल/असफ घोषित करने के निर्णय को यथावत रखा जा सकता है।

8. परिवाद समिति का निर्णय :-

(i) विषयांकित कार्य की निविदा के तकनीकी बीड में असफल निविदाकार यथा (1) Vallabhaneni Construction Private Limited के पत्रांक— शून्य, दिनांक—17.08.2026, (2) S & P Infrastructure Developers (P) Ltd. का पत्रांक— S&P/Admin/2026-27/174 दिनांक— 14.08.2026 के द्वारा दिए गए परिवाद/आपत्ति को अमान्य करने एवं (iii) Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd. के पत्रांक— शून्य, दिनांक— 15.08.2026 के द्वारा दिए गए मान्य करने का निर्णय लिया जाता है।

(ii) 04 (चार) निविदाकार, (1) S & P Infrastructure Developers Private Limited को MBD के Section 3: Clause 1.2.3, Section 4E.10 एवं NIT के क्रमांक — 39 तथा MBD के Section 3: Clause 1.2.1 (b) के आलोक में, (2) M/s Ashoka Buildcon Limited को MBD के Section 3: Clause 1.2.3, Section 4E. 10 एवं NIT के क्रमांक—39 तथा NIT के क्रमांक—28 के आलोक में, (3) Vallabhaneni Constructions Private Limited को MBD के ITB Clause-17 एवं NIT के क्रमांक— 18, MBD के Section 3 : Clause 2.6 एवं NIT के क्रमांक— 28 के आलोक में, (4) T and T – Aakshya 'JV' को MBD के ITB Clause-17 एवं NIT के क्रमांक—18, MBD के Section 3: Clause 1.2.3, Section 4E. 10 एवं NIT के क्रमांक—39, NIT के क्रमांक—28 एवं MBD के Section 3: Clause 2.4.2, Section 4E. 13 के आलोक में, तकनीकी बीड में असफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता हैं।

(iii) 06 (छः) निविदाकार यथा (1) M/s Niranjan Sharma, (2) M/s Broadway Links Private Limited, (3) M/s Adarsh Construction, (4) MCC Mahadeo Construction Pvt. Ltd. (5) Kram Infracon Private Limited एवं (6) Ram Kripal Singh Construction Pvt. Ltd. द्वारा निविदा की वांछित अर्हत्ता पूर्ण करने के कारण तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता है। साथ ही सफल निविदाकारों का वित्तीय बीड में खोलने का निदेश मुख्य अभियंता, उत्तर को दिया जाता है।

(iv) उपभागीय ज्ञापांक—2468 दिनांक—13.08.2026 द्वारा संसूचित दिनांक—13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के निर्णय को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

(v) मुख्य अभियंता, उत्तर संबंधित परिवादी बीडर को समिति के निर्णय से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

8.1 परिवाद समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

(सुनील कुमार सुमन) मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(राजेश कुमार गुप्ता) मुख्य अभियंता, संविदा प्रबंधन, नीतिगत मामले एवं लेखा परीक्षा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(अभिषेक पलासिया) संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(उमा कान्त रजक) अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः प्र0—7/निविदा—03—158/2026 6200 (E) पटना, दिनांक 2/9/2026

प्रतिलिपिः— मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(उमा कान्त रजक)
अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।